न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला–भीलवाडा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–09/2016

उनवान

1. गीता पुत्री देवी भील पत्नि चान्दू भील निवासी–फलामादा तहसील हुरडा हाल निवासी गागेडा तहसील हुरडा।

–अपीलार्थी

बनाम

1. रतन पिता देवी भील निवासी फलामादा तहसील हुरडा।
2. श्रीमती राधा पत्नि देवी भील निवासी फलामादा तहसील हुरडा।
3. भागुती पुत्री देवी भील पत्नि भगवान निवासी फलामादा तहसील हुरडा हाल चिताम्बा तहसील करेडा।
4. मुन्ना उर्फ मन्नु पुत्री देवी भील पत्नि कालू भील निवासी फलामादा हाल गागेडा तहसील हुरडा।
5. ग्राम पंचायत फलामादा जरिये सरपंच पंचायत फलामादा।

–रेस्पोडेंट

उपस्थित :– श्री रामदयाल जाट, वकील अपीलार्थी
श्री दिनेश तिवारी, वकील रेस्पोंडेंट संख्या–03, 04

–:अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियमः–
बसिलसिले नामान्तकरण संख्या–735 दिनांक 25.11.2004
ग्राम पंचायत–फलामादा

–:आदेशः–

दिनांक–11/02/2017

1. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तकरण विधि विरूद्ध तथ्यों एवं अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित सजरे के अनुसार विरासतन सही नहीं खोले जाने से अपास्त होने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

2. अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का फलामादा द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार नामान्तकरण जो मृतक देवी भील के वारिसान अर्थात् अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या–01 से लगायत 04 के नाम नहीं खोलकर मात्र रेस्पोंडेंट संख्या–01 व 02 के नाम पर ही खोला जो पूर्णतः सही नहीं होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य हैं।

Scanned by CamScanner

3. मृतक श्री देवीलाल की विरासत अपीलार्थी व रेस्पोंडेंट संख्या–01 से 04 में समान रूप से निहित हुई है तथा मृतक देवी की कृषि आराजियात पर अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या–01 से 04 समान रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। नामान्तकरण में वर्णित सजरा तो सही तौर पर वर्णित किया गया हैं। जिसमे अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या–03 व 04 जो कि देवी की पुत्रियां हैं का नाम वर्णित किया गया हैं लेकिन अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या–03 व 04 के नाम नामान्तकरण में स्वीकृत नहीं कर गंभीर त्रुटि की हैं।

4. देवी की जायदाद में अपीलार्थी का नाम विरासतन नहीं आने की प्रथम बार जानकारी तब हुई जब रेस्पोंडेंट संख्या–03 ने एक वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके सम्मन् अपीलार्थी को दिनांक 03.03.2014 की पेशी हेतू मिले तब हुई इस पर अपीलार्थी ने उस वादपत्र का जवाब मय काउन्टर शूट प्रस्तुत किया लेकिन वादपत्र को न्यायालय आप द्वारा दिनांक 23.08.2016 को नामान्तकरण की अपील पेश करने के दिशा निदेश के साथ निर्णित कर दिया। इस कारण अपीलार्थी की ओर से यह नामान्तकरण की अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की गई। वादपत्र व काउन्टर शुट में सदभाविक तौर व्यतीत हुई समयावधि को समायोजित किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड में अपना नाम विरासतन दर्ज नहीं होने की प्रथम बार जानकारी वादपत्र के सम्मन् दिनांक 03.04.2014 के प्राप्त होने से तथा वादपत्र का निर्णय दिनांक 23.08.2016 को अपील प्रस्तुत करने के दिशा निदेश के साथ निर्णित होने से यह अपील अन्दर अवधि पेश हैं। फिर भी नामान्तकरण स्वीकृत होने की दिनांक से अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई हैं उसको माफ किये जाने हेतू धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। अन्त में अंकित किया गया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत फलामादा के नामान्तकरण संख्या–735 के स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाकर नामान्तकरण में वर्णित देवी की विरासत के सजरे अनुसार नामान्तकरण अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या–01 से 04 के नाम समान हक हिस्से से खोले जाने का आदेश पारित फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (जिला-[illegible])

5. उक्त अपील बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिसेज तलब किये जाने पर रेस्पोडेंट संख्यप–03 व 04 कर ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये जिनके द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाने में कोई आपति नहीं होना जाहिर किया। रेस्पोडेंट संख्या–01, 02, 05 अनुपस्थित रहे हैं।

Scanned by CamScanner

6. तत्पश्चात् वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वक्त बहस वकील अपीलार्थी ने अपने अपील मेमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुये अन्त में कथन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.11.2004 को अपास्त फरमाया जावें। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया।

7. मैनें वकील उभयपक्ष को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं।

8. पत्रावली में उपलब्ध मौजा फलामादा के विवादित नामान्तकरण संख्या–735 निर्णय दिनांक 25.11.2004 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण ग्राम फलामादा की आराजी नम्बर–किता–02 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार देबी पिता गणेश भील के नाम, पटवारी हल्का के द्वारा खोला जाकर बांद जांच गिरदावर हल्का के ग्राम पंचायत न्यायालय फलामादा में पेश करने पर ग्राम पंचायत न्यायालय फलामादा के द्वारा उक्त नामान्तकरण को दिनांक 25.11.2004 को रतन पिता देबी, राधा बेवा देबी भील के पक्ष में निर्णित किया जाना प्रकट आया हैं।

9. अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य प्रतीत हुआ हैं क्योंकि पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तकरण पर जो मृतक खातेदार का सजरा बनाया गया है उसमें स्पष्ट रूप से मृतक खातेदार देबी भील के उसकी पत्नि राधा तथा रतन को पुत्र, गीता, मनु, भागुती को पुत्रियां को दर्शाये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना नामान्तकरण की जांच–पडताल किये बिना अपीलार्थी के सुनवाई का अवसर दिये उक्त नामान्तकरण निर्णित कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के परे जाकर उक्त कृत्य किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ हैं। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह पटवारी हल्का के द्वारा भरे गये नामान्तकरण की जांच करते अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते तो उक्त कृत्य होने की कतई संभावना नहीं रहती। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत फलामादा के द्वारा अनदेखी से उक्त गलत निर्णय पारित हुआ हैं। जो अपास्त योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल (फलासिया)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम पाते है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही तथ्यों का समुचित रूप से विवेचन नहीं किया गया हैं। तदनुसार न्यायालय अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाना न्यायहित में उचित समझता हैं। लिहाजा यह आदेश सुनाया जाता है कि :–

Scanned by CamScanner

-:आदेश :-

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत फलासादा के नामान्तकरण संख्या-735 निर्णय दिनांक 25.11.2004 को अपास्त किया जाता हैं। तथा तहसीलदार हुरडा को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है कि वह मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर तथा अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये नव निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार हुरडा को दी जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner